

पंजीकरण अवधि :
06 अप्रैल, 2016 से
31 मई, 2016 तक

खुशियों का आशामा, उमंगों का जहां,
बेहद खूबसूरत है, हमारा ये आशियां।



मूल्य : ₹ 500/-

(₹ 476 + ₹ 23.80 वेट)



परिषद के 5वें स्थापना दिवस
एवं नवरात्रि के सुअवसर पर
पंजीकरण का शुभारम्भ

सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत बहुमंजिला आवासीय परियोजना वर्ष 2016 (द्वितीय चरण)



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
Website : <http://www.upavp.com>; E-mail : upavp@sancharnet.in

सिकन्दरा ग्रीन एव्हलेव
सिकन्दरा सेक्टर-2सी, आगरा
में फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर



लोकेशन प्लान

सिकन्दरा योजना आगरा सेक्टर-2 सी

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. सिकन्दरा स्मारक रा० मा०-२ | : 2.50 किमी |
| 2. अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (I.S.B.T.) | : 4.00 किमी |
| 3. डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय | : 7.00 किमी |
| 4. संजय प्लेस | : 5.00 किमी |
| 5. राजामण्डी रेलवे स्टेशन, आगरा | : 4.50 किमी |
| 6. कलैकट्रेट | : 6.00 किमी |

गुणवत्ता नीति

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद आवासीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हेतु ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, स्वस्थ एवं विकासपरक वातावरण व संवेदनशीलता के साथ उच्च गुणवत्ता एवं क्रय क्षमता के अनुरूप उत्पादों मानकों के अनुरूप कार्यान्वयन से अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी।

गुणवत्ता नीति के निर्धारित लक्ष्य

- कार्यों हेतु निर्धारित समय एवं उनकी लागत के विचलन में कमी लाना।
- ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं में कमी लाना।
- ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करना।



सिंक्वॉड्या सिंक्वॉड्या खेलजग्य-२खी, आगरा

ग्रीन एव्हलेव

- आर०सी०सी० फ्रेम स्ट्रक्चर से भूकम्प रोधी निर्माण।
- बेडरूम/ड्राइंग/डाइनिंग रुम में विट्रिफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में ग्रेनाइट स्टोन।
- अग्निरोधक पी०वी०सी० कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर ए०सी० प्वाइन्ट का प्राविधान।
टी०वी० एवं फोन साकेट व एम०सी०बी०।
- फर्श पर एन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्र्वायलेट में उड़ीसा व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा सी०पी० टेप फिटिंग्स।
- कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल स्टेनलेस स्टील की सिंक।
- प्रवेश द्वार पर नाइट लैंप एवं मैजिक आई का प्राविधान।
- केबिल/डिश टी०वी० नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।
- इण्टर काम व टेलीफोन/इण्टर नेट वायरिंग का प्राविधान।
- प्रवेश द्वार पर मोर्टिस लॉक (Lock) का प्राविधान।



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

MAIN ENTRANCE VIEW

Unit
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

PERSPECTIVE VIEW

Unit
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

BIRD EYE VIEW

Unit
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

ISOMETRIC VIEW (SINGLE UNIT) Single Flat Area : 100.09 Sq.M.

Unit:
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOGNA, AGRA

RENDERED COMBINE UNIT PLAN Single Flat Area : 100.09 Sq.M.

Unit
APD - Unit-IV

परियोजना का विवरण

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) सेक्टर-2सी, आगरा में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 'सिकन्दरा ग्रीन एन्कलेव' में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय परियोजना वर्ष 2016 (द्वितीय चरण) के फ्लैट्स का विवरण :—

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) आगरा में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत सेक्टर-2सी में सिकन्दरा ग्रीन एन्कलेव में प्रस्तावित (एस+6) मंजिलें आवासीय फ्लैट्स की महत्वाकांक्षी परियोजना हेतु आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। फ्लैट्स के विवरण मूल्य एवं विशिष्टियाँ निम्नवत् प्रस्तावित हैं।

1. (अ) फ्लैट्स का विवरण

क्र0 सं0	सम्पत्ति की श्रेणी	फ्लैट का प्रकार	तल	सुपर एरिया (वर्ग0 मी.) में	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग0 मी.) में	प्राविधान
1.	उच्च आय वर्ग सामान्य श्रेणी	2 BHK	प्रथम तल	113.00	100.03	1 ड्राइंग—डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 3 बालकनी, 2 ट्रवायलेट, 1 बॉक्स रूम
2.	उच्च आय वर्ग सामान्य श्रेणी	2 BHK	द्वितीय तल	113.00	100.03	1 ड्राइंग—डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 3 बालकनी, 2 ट्रवायलेट, 1 बॉक्स रूम
3.	उच्च आय वर्ग सामान्य श्रेणी	2 BHK	तृतीय तल	113.00	100.03	1 ड्राइंग—डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 3 बालकनी, 2 ट्रवायलेट, 1 बॉक्स रूम
4.	उच्च आय वर्ग सामान्य श्रेणी	2 BHK	चतुर्थ तल	113.00	100.03	1 ड्राइंग—डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 3 बालकनी, 2 ट्रवायलेट, 1 बॉक्स रूम
5.	उच्च आय वर्ग सामान्य श्रेणी	2 BHK	पंचम तल	113.00	100.03	1 ड्राइंग—डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 3 बालकनी, 2 ट्रवायलेट, 1 बॉक्स रूम
6.	उच्च आय वर्ग सामान्य श्रेणी	2 BHK	षष्ठम तल	113.00	100.03	1 ड्राइंग—डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 3 बालकनी, 2 ट्रवायलेट, 1 बॉक्स रूम

1. (ब) फ्लैट्स की अनुमानित विक्रय मूल्य

क्र.सं.	सम्पत्ति की श्रेणी	सुपर एरिया (वर्ग ० मी.)	भवनों की संख्या	प्रस्तावित अनुमानित विक्रय मूल्य (रु० लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के ३० दिन के अन्दर देय धनराशि (रु० लाख में)	अवशेष भुगतान १२० मासिक किश्तों में (प्रत्येक किश्त की प्रस्तावित धनराशि) (रु० लाख में)
1.	उच्च आय वर्ग प्रथम तल	113.00	16	48.53	2.43	23.05	0.325
2.	उच्च आय वर्ग द्वितीय तल	113.00	16	48.53	2.43	23.05	0.325
3.	उच्च आय वर्ग तृतीय तल	113.00	16	48.53	2.43	23.05	0.325
4.	उच्च आय वर्ग चतुर्थ तल	113.00	16	48.53	2.43	23.05	0.325
5.	उच्च आय वर्ग पंचम तल	113.00	16	48.53	2.43	23.05	0.325
6.	उच्च आय वर्ग षष्ठम तल	113.00	16	48.53	2.43	23.05	0.325

नोट : उक्त प्रस्तावित मूल्य में नियमानुसार देय सर्विस टैक्स सम्मिलित है।

2. फ्लैट्स की विशिष्टियाँ

- स्ट्रक्चर : आर०सी०सी० फ्रेम स्ट्रक्चर से भूकम्प रोधी निर्माण (परिकल्पना के आधार पर भवनों का निर्माण आर०सी०सी० फ्रेम स्ट्रक्चर एवं ईंट चिनाई की दीवारों के साथ किया जाना है।)
- फर्श : बेडरूम / ड्राइंग / डाइनिंग रूम में विट्रिफाइड टाइल, कामन क्षेत्रफल में कोटा स्टोन।
- किचन : कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक
- ट्वायलेट : फर्श पर ऐन्टी स्लिप एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में उड़ीसा व अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा सी०पी टेप फिटिंग्स।
- दरवाजे : मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे लेमीनेटेड फलश डोर शर्टस, चौखट मलेशियन साल बुड / एंगिल आयरन।
- खिड़कियाँ : मलेशियन सॉल बुड फ्रेम एवं मराडी / चोप बुड विन्डो शर्टस मच्छर जाली सहित।
- रंग रोगन : अन्दर दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्ट्रेम्पर तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग। दरवाजों पर ईनेमल पेन्ट / पालिश।
- जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर०सी०सी० का संयुक्त टैंक / आन्तरिक जलापूर्ति एवं सेनेटरी हेतु सी०पी०वी०सी० पाईप।
- विद्युत : अग्निरोधक पी०वी०सी० पाइप, कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर ए०सी० प्वाइन्ट का प्राविधान, टी०वी० एवं फोन साकेट व एम०सी०वी०।
- स्टेयर केस : ग्रेनाइट स्टोन स्टैप पर एवं एम०एस० रेलिंग बुडन टॉप सहित।

डोर / विन्डो फिटिंग्स : एल्यूमिनियम फिटिंग्स गोल्डन फिनिशिंग ।

- अन्य :
1. इण्टर कॉम व टेलीफोन / इण्टर नेट वायरिंग का प्राविधान ।
 2. प्रवेश द्वार पर मोर्टिस लॉक (LOCK) का प्राविधान ।
 3. केविल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान ।
 4. प्रवेश द्वार पर नाइट लैंप एवं मैजिक आई का प्राविधान ।
 5. परिषद को फ्लैट्स के निर्माण की विशिष्टियों व ड्राइंग में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

अतिरिक्त सुविधायें एवं चार्जेज़ :

- 2.1 प्रत्येक ब्लॉक हेतु 08 व्यक्तियों हेतु लिफ्ट की सुविधा ।
- 2.2 पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर की सुविधा ।
- 2.3 आन्तरिक वॉटर सप्लाई हेतु सी0 डब्ल्यू0 आर0 एवं वाटर लिफिंग की सुविधा ।
- 2.4 पर्याप्त पार्किंग स्पेस ।
- 2.5 उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है । प्रस्तावित निर्माण 6 माह में किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा । सम्पत्ति के वेतनमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में वृद्धि होने पर परिवर्तन संभव है ।
- 2.6 प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः प्रथम तल 5 प्रतिशत द्वितीय तल 3 प्रतिशत, तृतीय तल 2 प्रतिशत एवं चतुर्थ तल 01 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा ।
- 2.7 उक्त अनुमानित / आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्टिल्ट पार्किंग आरक्षित कराना आवश्यक होगा । स्टिल्ट कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रु0 1.50 लाख अतिरिक्त देय होगा एवं ओपन पार्किंग हेतु रु0 0.50 लाख अतिरिक्त देय होगा । यह धनराशि प्रत्येक दशा में विक्रय-विलेख निष्पादन एवं पंजीयन के पूर्व आवंटी को भुगतान करनी होगी ।
- 2.8 प्रत्येक आवंटी को पॉकेट के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया अनुरक्षण के अनुपात में ही पॉकेट की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज, तत्समय प्रचलित दर पर देना होगा ।

- 2.9 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को “कार्पर्स फण्ड” में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि ₹0 2.52 लाख प्रति फ्लैट देय होगी। पॉकेट में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टेनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पर्स फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित, हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति द्वारा उक्त पॉकेट की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख—रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटियों को देना होगा।
- 2.10 परिसर का रख—रखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है इसके उपरान्त परिसर का रख—रखाव ‘रेजीडेन्ट वेलफेर सोसाइटी’ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 2.11 फ्लैट्स में पावर बैकअप की वायरिंग / जनरेटर का प्राविधान मूल्य में सम्मिलित है। रख—रखाव व्यय प्रतिमाह आवंटी को देना होगा। 2 वर्ष की मेंटेनेन्स के बाद सोसाइटी के हस्तगत के पश्चात् पॉवर बैकअप अलग से क्रय करना होगा, एक किलोवाट के बाद पावर बैकअप प्रति यूनिट अलग से देय होगा।
- 2.12 जल संयोजन / विद्युत संयोजन अपने मूल्य पर आवंटियों को संबंधित विभाग से लेना होगा। इनका मूल्य भवन की लागत में सम्मिलित नहीं है।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 सामान्य श्रेणी के उच्च आय वर्ग फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन—पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्र्य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति—पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति—पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा उसे वापस कर दी जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाती है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

- 4.7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाता है, तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

- 5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से एकमुश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 120 मासिक किश्तों में ब्याज सहित देय होगी।
- 5.2 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5.3 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर जायेगी।
- 5.4 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5.5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सामान्य श्रेणी बहुमंजिली आवासीय परियोजना—2016 (द्वितीय चरण)“ के नाम बैंक ड्राफ्ट जो आगरा शहर में देय हो मांगपत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम

- 6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्झा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य आरक्षण नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार द्वारा वापस कर दी जायेगी।

- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट्स की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ—साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन / आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख—निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 तल एवं सम्पत्ति संख्या का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा।



7. आरक्षण :

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स में निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	—————तदैव—————
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	—————तदैव—————
4	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्रकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण। (स) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को सुविधा अनुमन्य नहीं।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संरक्षण, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन—पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रामण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट :— उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 तक में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करें। लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 9 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सम्पत्तियों के विरुद्ध उ० प्र० राज्य के अनुसूचित जाति/जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (उ० प्र० सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित सूची के अनुसार) के आवेदकों को ही सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे। जाति प्रमाण पत्र उ० प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ० प्र० शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का कब्जा

- 9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 6 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का निर्धारित समय सीमा में देय धनराशि जमा करने में व अन्य समस्त देय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सलेल डीड कराने से पूर्व कराना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा किया जायेगा।
- 9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु0—50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 9.4 मांग पत्र जारी होने के एक माह के भीतर भवन के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने एवं वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति करने पर कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय—विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेंट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र आगरा होगा।
- 11.8 सम्पत्ति का मूल्य पंजीकरण पात्रता झड़ा की तिथि पर लागू भूमि दर एवं वास्तविक निर्माण लागत के आधार पर आगणित किया जायेगा। सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जायें कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति—पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच स्थान छोड़ने हेतु ब्लाक में एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु—6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में 'HW' भरें।
- 9 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर—7 पर उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा।
10. कोड न भरने की स्थिति में आवेदक पर अनारक्षित श्रेणी में विचार किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
11. बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर का लेखा शीर्षक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सामान्य श्रेणी बहुमंजिली आवासीय परियोजना—2016" होगा जो आगरा में देय होगा।
12. संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु—14 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना आवेदक के हित में होगा।

13. पात्रता झ्ना के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर बैंक एकाउण्ट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान के विलम्ब हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।
14. आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
15. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
16. परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय पंजीकरण संख्या, शहर कोड तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
17. आवेदन—पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छाया प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु संदर्भ रहे।
18. आवेदन के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई0 डी0, डी0 एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
19. तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट—बढ़ सकती है। जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेत मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

शहर	कोड
आगरा	01
योजना	कोड
सिकन्दरा योजना, आगरा	084
लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरुष	M

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनारी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

मुख्य परिभाषाएँ

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां-जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :—

आवेदक का परिवार —

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय —

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन —

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति —

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा —

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) —

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य —

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति —

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है –

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
- (3) यह सुविधा केवल स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को ही देय है उनके आश्रितों को यह सुविधा देय नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य –

सेवारत / सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य –

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य –

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य –

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य –

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

बैंक शारका का नाम व पता जहां से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

**पंजीकरण 06 अप्रैल 2016
से प्रारम्भ**

**आवेदन पत्र जमा करने हेतु
अन्तिम तिथि 31 मई 2016**

क्रमांक	बैंक का नाम	पता	दूरभाष नं०
1.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	सिकन्दरा शाखा सिकन्दरा बोदला रोड निकट कारगिल पेट्रोल पम्प सेक्टर-13 आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा	0562-2600441, 2605985

पंजीकरण पुस्तिका दि० 06 अप्रैल 2016 से उपरोक्त बैंक / स्थान पर ₹० 500/- मूल्य जमा करके प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण पुस्तिका उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ स्थित प्रचार अनुभाग से भी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन पत्र के आवागमन में डाक संबंधी विलम्ब हेतु बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

डाक द्वारा पुस्तक मंगाने हेतु (₹. 50/-) डाक खर्च अतिरिक्त देय होगा

नोट : आवेदन पत्र उल्लिखित बैंक में ही स्वीकार किये जायेंगे।

रक्षा 10 / - स्टैम्प पेपर (नोटरी द्वारा सत्यापित) सक्षम जो प्रो आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री / श्रीमती / कु0 उम्र वर्ष पुत्र / पुत्री / पत्नी निवासी

शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ :-

1. मैं उपरोक्त नामित एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
2. मैं घोषित करता / करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे परिवार किसी सदस्य से पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं। तुरन्त परिषद को दूंगा / दूंगी।
4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं हैं।
5. मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
6. मैं एतद्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जान बूझकर परिषद दिए हैं तो परिषद को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।
7. कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / क्रेताओं की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।
8. मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती जो रिश्ते में मेरे या मेरी है एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता जो रिश्ते में मेरे / मेरी है एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती जो मेरे / मेरी है एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक-1 से 8 तक दी गई सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

योजना के क्रियान्वयन, निर्माण एवं आवंटन आदि के सम्बन्ध में जानकारी के लिये परिषद के निम्न कार्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
आफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
सैक्टर-9 सिकन्दरा योजना, आगरा
फोन : 0562-2604018

**संयुक्त आवास आयुक्त
आगराजोन**

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
आफिस कॉम्प्लेक्स, कमला नगर,
आगरा
फोन : 0562-2881430

**अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-09**
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
सैक्टर-9 एच0आई0जी0-221, 222 एवं 223
सिकन्दरा योजना, आगरा
फोन : 0562-4007321

**अधीक्षण अभियन्ता
षष्ठम वृत्त**

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
आफिस कॉम्प्लेक्स, कमला नगर,
आगरा
फोन : 0562-2880097

उ.प्र. आवास विकास मुख्यालय, लखनऊ

